न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 61 / अपील / 2024 (GCMS No. 2024 / 211)	06.11.2024	18.02.2025

1. कमलेश कंवर पुत्री हनुमान सिंह जाति राजपूत,
   नि. जे.के.लॉन अस्पताल के सामने, तलवास वाले की हवेली,कोटा
2. दीप कंवर पुत्री हनुमान सिंह जाति राजपूत,
   नि. जे.के.लॉन अस्पताल के सामने, तलवास वाले की हवेली,कोटा
3. मिथलेश कंवर पुत्री हनुमान सिंह जाति राजपूत,
   नि. जे.के.लॉन अस्पताल के सामने, तलवास वाले की हवेली,कोटा
4. महेन्द्र सिंह आ. हनुमान सिंह जाति राजपूत,
   नि. जे.के.लॉन अस्पताल के सामने, तलवास वाले की हवेली,कोटा
5. सज्जन सिंह आ. हनुमान सिंह जाति राजपूत,
   नि. जे.के.लॉन अस्पताल के सामने, तलवास वाले की हवेली,कोटा
6. मान कंवर पत्नी हनुमान सिंह जाति राजपूत,
   नि. जे.के.लॉन अस्पताल के सामने, तलवास वाले की हवेली,कोटा

— अपीलान्टस

बनाम

1. अम्बालाल पुत्र बाबूलाल जाति मीणा
   निवासी माटुन्दा रोड, गैस गोदाम के पास, बून्दी (जिला बून्दी)
2. रामरतन पुत्र बाबूलाल जाति मीणा
   निवासी माटुन्दा रोड, गैस गोदाम के पास, बून्दी (जिला बून्दी)
3. रामजानकी पत्नी महादेव जाति मीणा
   निवासी माटुन्दा रोड, गैस गोदाम के पास, बून्दी (जिला बून्दी)
4. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार बून्दी।

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री अनन्त शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 1 लगायत 3 की ओर से श्री लीलाधर सिंह, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 4 की ओर से पेरोकार सरकार।

जिला कलेक्टर, बून्दी

निर्णय

यह अपील तहसीलदार, बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 1/2023 बउनवान अम्बालाल वगै. बनाम कमलेश कंवर वगै. अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट में पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस न्यायालय में पेश की गयी है। रेस्पो.सं.1 लगायत 3 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया, जो अपीलाधीन आदेश से स्वीकार किया जाकर अपीलांट को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 61/2016 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS नं. 2024/211 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गयी। अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. पेश किया गया, जो बाद सनवाई दिनांक 16.12.2024 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बून्दी को रेस्पो.सं. 4 पर पक्षकार बनाया गया। तत्पश्चात अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. पेश किया गया, जो बाद सनवाई दिनांक 28.01.2025 को स्वीकार किया जाकर संलग्न दस्तावेज रेकार्ड पर लिये गये। इसके बाद अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा.दी. पेश किया गया, जो बाद सुनवाई दिनांक 28.01.2025 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ''साक्ष्य'' के स्थान पर ''मियाद'' प्रतिस्थापित किया गया।

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 348/31 रकबा 0.1307 हैक्टेयर एवं ख.सं. 344/33 रकबा 0.4922 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6229 हैक्टेयर वाके ग्राम बहादूरपुरा तहसील व जिला बून्दी में स्थित है। उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थीगण अम्बालाल वगै. द्वारा अपीलांटस के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 27.08.2024 को अपीलांटस के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया गया। उक्त प्रकरण में अपीलांटस को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध नहीं हुआ तथा एकपक्षीय निर्णय होने से अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय में अपने समर्थन के दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके और न ही जवाब प्रस्तुत कर सकें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विषयान्तर्गत भूमि के संबंध में इस महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी की गई कि अपीलांटस के पिता हनुमान सिंह आ. बद्रीसिंह जाति राजपूत निवासी बून्दी को

जिला कलेक्टर, बून्दी

खसरा संख्या 2/6 में से 15 बीघा भूमि वाकेग्राम बहादूरपुरा में नियमानुसार सन 1960 में आवंटित की जाकर मौके पर कब्जा संभला दिया था। तभी से आवंटी हनुमान सिंह तथा उनके देहान्त के बाद उनके वारिस अपीलांटस उक्त आवंटनशुदा भूमि पर कदीमीअर्से से निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। आवंटन शर्तो की पालना किये जाने के आधार पर अपीलांट के पिता आवंटी हनुमान सिंह को खातेदारी अधिकार दिये गये। इस संबंध में रेस्पोडेंटस द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 2–3 माह पूर्व अपीलांटस द्वारा जबरन कब्जा कर लेने का तथ्य गलत रूप से अंकित किया गया है। अपीलांटस का खसरा नं. 348/31 एवं खसरा नं. 443/33 की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, वो अपनी आवंटनशुदा भूमि पर ही काबिज है किन्तु 3 राजस्व ग्राम बाहपुरपुरा, गांधीग्राम व माटून्दा की सीमाओं का मिलान होने से वहां पर खसरे ऑवरलेप होने की समस्या के कारण रेस्पो. अपीलांटस के खाते व कब्जे की भूमि को अपना मान रहे है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का कब्जा नहीं होने के बावजूद कब्जे के संबंध में कोई जांच किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित किया गया है जो विधि अनुकूल नहीं होने से खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया गया कि रेस्पो. द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में उपखण्ड अधिकारी बून्दी के न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 183, 189, 209 रा.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया हुआ है, इसके विचाराधीन होते हुये भी अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधिविरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदन दिनांक 17.10.2024 को पेश किया गया, उसी दिन नकल दी गई। इसलिए जानकारी की तिथि से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.12.2024 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांटस को तहसीलदार बून्दी के आदेश की शुरू से ही जानकारी रही है इसलिए अपील अपीलांटस मियाद बाहर है। अपीलांटस ने अपनी अपील में देरी को कन्डोन करने की प्रार्थना नहीं की है। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है तथा देरी माफ किये जाने योग्य नहीं है। अपील अपीलांटस मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 ने आगे गुणावगुण पर बहस करते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 की खातेदारी की भूमि है। उक्त खातेदारान की जाति मीणा है जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते है। जबकि अपीलांटस सवर्ण जाति

जिला कलेक्टर; बून्दी

के व्यक्ति है, उनके द्वारा रेस्पो.सं.1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि पर जबरन ताकत के बल पर 2–3 माह पूर्व कब्जा कर लिया गया, जिस कारण खातेदारान द्वारा तहसीलदार बून्दी को धारा 183(बी) आर.टी. एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांटस को बेदखल किये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट में रेस्पो. की कृषि भूमि पर अपीलांटस का अवैध कब्जा पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई के दौरान दिनांक 21.03.23 को अप्रार्थी सं.4 महेन्द्र सिंह द्वारा स्वयं मय अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया गया था। बाद सुनवाई अनुसूचित जनजाति के खातेदारान की भूमि पर गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का कब्जा गैर कानूनी पाया जाने से आदेश दिनांक 27.08.2024 पारित कर अपीलांटस को बेदखल कर जुमाने से दण्डित किया गया, जो विधिसम्मत है। उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के न्यायालय में पक्षकारान के मध्य लम्बित वाद अन्य खसरा नम्बरान से संबंधित है। हनुमान सिंह को वर्ष 1960 को आवंटित भूमि के खसरा नम्बरान भी अलग है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से बहाल रखा जाकर अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पो.सं.1 लगायत 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से एवं अपील अपीलांटस सारहीन होने से अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे जाहिर आया है कि जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 अनुसार ग्राम बहादुरपुरा की कृषि भूमि खसरा सं.32 रकबा 0.6921 की खातेदार रामजानकी पत्नी महादेव जाति मीणा, भूमि खसरा सं. 442/33 रकबा 0.6229 हैक्टेयर का खातेदार अम्बालाल पुत्र बाबूलाल मीना, भूमि खसरा सं. 348/31 रकबा 0.1307 हैक्टेयर व खसरा सं. 443/33 रकबा 0.4922 हैक्टेयर का खातेदार रामरतन पुत्र बाबूलाल मीना है। उक्त खातेदारान द्वारा तहसीलदार बून्दी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया जाकर उसके खाते की कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा द्वारा जबरन बतौर अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा कर लिये जाने से उनको बेदखल किये जाने निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका जांच करवाई जाकर बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार करते हुये आदेश दिनांक 27.08.2024 को पारित किया गया, जिसमें धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये अप्रार्थीगण को बेदखल कर उक्त भूमि पर प्रार्थीगण को कब्जा दिलवाया जाने का आदेश दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

यहां अपीलांटस द्वारा आपत्ति प्रकट की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनको सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी पेशी दिनांक 21.03.2023 को उपस्थित होने बाबत रजिस्टर्ड डाक से नोटिस दिनांक 10.03.2023 को जारी किये गये थे, जो अप्रार्थी महेन्द्र सिंह की तामील के अलावा अन्य नोटिस अदम तामील लौट आये। दिनांक 21.03.2023 को अप्रार्थी महेन्द्र सिंह स्वयं मय अधिवक्ता श्री राजकुमार गौतम अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये। अप्रार्थी सं. 4 महेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 13.04.2023 को अपना जवाब पेश किया जाकर सर्वे रिपोर्ट तलब किये जाने हेतु निवेदन किया गया। तत्पश्चात पेशी दिनांक 15.12.2023 के लिए शेष अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, जो 02 गवाहान की उपस्थिति में अप्रार्थीगण के खुले मकान पर चस्पानगी से तामील करवाये गये। इसके बावजूद अप्रार्थी सं. 1,2,3,5,6 अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये। तत्पश्चात कई तारीख पेशियों पर अप्रार्थीगण के उपस्थित न्यायालय नहीं आने से दिनांक 28.03.2024 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इस प्रकार अप्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट है। ऐसे में अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने समर्थन के दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिये जाने का आरोप सत्य प्रमाणित नहीं होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 183(बी) आर.टी. एक्ट के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों की भूमि पर अतिक्रमियों के विरूद्ध त्वरित व प्रभावी कार्यवाही करने के लिए संक्षिप्त कार्यवाही है। यदि अपीलांटस वादग्रस्त आराजी पर अपना पुराना कब्जा मानते है तब भी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति की भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर भी सवर्ण जाति के व्यक्तियों को कभी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है।

जहां तक उपखण्ड अधिकारी बून्दी के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 18/दावा/2023 अन्तर्गत धारा 88, 89, 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन होने का प्रश्न है तो उक्त वाद रेस्पो. द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए दायर किया हुआ है, किन्तु उक्त वाद के दौरान उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट की संक्षिप्त कार्यवाही किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। ऐसे में दौराने राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2024 पारित किया गया है जो विधिसम्मत है, इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 18.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी